


बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

आदेश

का०आ०सं०-7 / स्था०(उ०लि०)-05 / 2017...2754 / श्री अनिल कुमार, उत्पाद लिपिक, बक्सर को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक सहायक आयुक्त मद्यनिषेध का कार्यालय, पटना में प्रतिनियुक्त किया जाता है।


2. श्री अनिल कुमार, उत्पाद लिपिक का वेतनादि का भुगतान (अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर) अधीक्षक मद्यनिषेध कार्यालय, बक्सर से किया जायेगा।
3. प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।


संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध,
बिहार, पटना।
01.08.19

पटना, दिनांक-.....

ज्ञापांक:-7 / स्था०(उ०लि०)-05 / 2017...2754

प्रतिलिपि:-जिला कोषागार पदाधिकारी, बक्सर/उपायुक्त मद्यनिषेध, पटना-सह-मगध प्रमंडल, पटना/सहायक आयुक्त मद्यनिषेध, पटना/अधीक्षक मद्यनिषेध, बक्सर एवं श्री अनिल कुमार, उत्पाद लिपिक, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध,
बिहार, पटना।